न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :–6 / 2024

वादीगण

1. खरथाराम पुत्र पनाराम उम्र 70 वर्ष
2. डालुराम पुत्र मुकनाराम उम्र 40 वर्ष
3. मुलाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 50 वर्ष
4. हीरोदेवी पत्नि मुकनाराम उम्र 80 वर्ष
5. देदाराम पुत्र पनाराम उम्र 65 वर्ष

जातियान जाट निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चनणी पुत्री मानाराम उम्र 78 वर्ष
2. चुनीदेवी पुत्री चम्पादेवी उम्र 80 वर्ष
3. चोलाराम पुत्र देवाराम उम्र 50 वर्ष
4. जेठाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 30 वर्ष
5. जेठीदेवी पुत्री मानाराम उम्र 85 वर्ष
6. ठाकराराम पुत्र देवाराम उम्र 65 वर्ष
7. तेजाराम पुत्र मानाराम उम्र 60 वर्ष
8. तुलछाराम पुत्र देवाराम उम्र 50 वर्ष
9. तीजोदेवी पुत्री चम्पादेवी उम्र 28 वर्ष
10. दोलीदेवी पुत्री वागाराम उम्र 60 वर्ष,
11. पदमाराम पुत्र मानाराम उम्र 70 वर्ष
12. भेराराम पुत्र गंगाराम उम्र 68 वर्ष
13. भींयाराम दत्तक पुत्र वागाराम उम्र 70 वर्ष
14. माजूदेवी पत्नि गुमनाराम उम्र 75 वर्ष
15. मालाराम पुत्र चम्पादेवी उम्र 48 वर्ष
16. मोटाराम पुत्र चम्पादेवी उम्र 45 वर्ष
17. मोडाराम पुत्र मानाराम उम्र 82 वर्ष
18. राणाराम पुत्र भारूराम उम्र 38 वर्ष
19. लक्ष्मणराम पुत्र चम्पादेवी उम्र 33 वर्ष
20. लाछीदेवी पत्नि भारूराम उम्र 75 वर्ष
21. लिखमाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 45 वर्ष
22. वालाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 32 वर्ष
23. हुकमाराम पुत्र देवाराम उम्र 76 वर्ष

जातियान जाट निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री भंवरलाल चौधरी वकील वादीगण।
2. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रतिवादी सं. 12,13,18 च 23
3. पैरोकार सरकार उप.।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

4. शेष प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 10.07.2024

1. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 की पुश्तैनी हक एवं कब्जाकास्त की भूमि खसरा नं. 93 रकबा 29.05 बिघा ग्राम रामदेवरा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। पक्षकार मुतवफी मेहराराम के वारीसान है। मेहराराम के 5 पुत्र– वादीगण के पूर्व पुरूष पताराम, प्रतिवादी संख्या 10 से 13 के पूर्व पुरूष बाघाराम, प्रतिवादी संख्या 3, 6, 8, व 23 के पिता देवाराम, प्रतिवादी संख्या 12, 4, 14, 21 के पूर्व पुरूष गंगाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15 से 20 व 22 के पूर्व पुरूष मानाराम– थे। इस प्रकार उक्त प्रत्येक थौक का उक्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। अतः वादीगण ने स्वयं को वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

2. वाद पंजियन कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 12, 13, 18 व 23 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों की ताईद कर वादग्रस्त भुमि में वादीगण के नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किए जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वादीगण की ओर से साक्ष्य में खरताराम पीडब्लू–1, देदाराम पीडब्लू–2 व मूलाराम पीडब्लू–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किए। दस्तावेजात के रूप में प्रदर्श पी–1 वादग्रस्त भूमि की जमांबदी, प्रदर्श पी–2 नक्शा, प्रदर्श पी–3 से लगायत पी–6 अन्य भूमि की खतौनी बंदोबस्त, प्रदर्श पी–7 इकरारनामा प्रस्तुत किए।

4. बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस है कि मुतवफी मेहराराम के पांच पुत्रों– पनाराम , बाघाराम, देवाराम, गंगाराम व मानाराम– के कब्जाकास्त अनुसार उनकी पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज हुई थी, किन्तु वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 93 रकबा 29.05 बिघा, मेहराराम ने अपने पांच पुत्रों के संयुक्त उपयोग हेतु उनकी संयुक्त खातेदारी में रखी थी। किन्तु उक्त भूमि की खतौनी बंदोबस्त में वादीगण के पूर्व पुरूष पनाराम का नाम भूलवश छूट जाने से वाद के रेकर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए। इस तथ्य की जानकारी होने पर उभयपक्ष ने वादीपक्ष का भी संयुक्त हक होने बाबत इकरारनामा लिखा। अतः वादीगण उक्त भूमि के रेकर्ड में 1/5 हिस्से में अपनी खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

5. वकील प्रतिवादी संख्या 12, 13, 18 व 23 ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के साथ सहखातेदार के रूप में रेकर्ड में दर्ज किए जाने में अपनी अनापत्ति व्यक्त की।

6. हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वाद पत्र में अंकित वंशवृक्ष से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 मुतवफी मेहराराम के वारीस है, जिनके पांच पुत्र– वादीगण के पूर्व पुरूष पनाराम, प्रतिवादी संख्या 10 से 13 के पूर्व पुरुष बाघाराम, प्रतिवादी संख्या 3, 6, 8, व 23 के पिता देवाराम, प्रतिवादी संख्या 12, 4, 14, 21 के पूर्व पुरूष गंगाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15 से 20 व 22 के पूर्व पुरूष मानाराम– थे। वक्त बंदोबस्त उक्त पांचों थौकों में से प्रत्येक थौक की माफिक कब्जाकाश्त पृथक–पृथक पर्चा लगान जारी हुए थे, जिनपर पक्षकार वारिसाना हकानुसार काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। किन्तु वादग्रस्त भूमि उक्त पांचों थौकों के संयुक्त हक एवं कब्जाकास्त में बहिस्सा बराबर रखी गई थी, उक्त खसरे के रेकर्ड में मेहराराम के चार पुत्रों– बाघाराम, देवाराम, गंगाराम, मानाराम– का नाम दर्ज हो गया, किन्तु भूलवंश वादीगण के पूर्व पुरूष पनाराम का नाम छूट गया। उक्त तथ्य की पुष्टि उभयपक्ष द्वारा अपनी सहमति से लिखे गये इकरारनामा से होती है। मौखिक साक्ष्य में गवाहान ने अपने शपथ पत्रों में वादग्रस्त भूमि पर मेहराराम के पांच पुत्रों के परिवारों का संयुक्त कब्जा होने की ताईद की। प्रतिवादी संख्या 12, 13, 18 व 23 जो वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है, ने अपने जवाब में उक्त भूमि पर वादीगण का हक एवं कब्जा 1/5 हिस्से पर होना बताते हुए तदनुसार उन्हें उक्त भूमि में सहखातेदार घोषित किए जाने का समर्थन किया है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 23 से साथ 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किए जाने एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में उनके नाम दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

7. लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रामेदवरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 93 रकबा 29.05 बीघा भूमि में [illegible] को प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/15–1/15 हिस्सा वादी संख्या 1 व 5 प्रत्येक की, 1/45–1/45 हिस्सा वादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक की, 1/35–1/35 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1,4 5, 7, 11, 17, 21 व 22 प्रत्येक की, 1/70–1/70 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14, 18 व 20 प्रत्येक की, 1/175–1/175 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2, 9, 15, 16 व 19 प्रत्येक की, 1/10–1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10,12 व 13 की, 1/25–1/25 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 23 प्रत्येक की तथा 3/50–3/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 व 8 प्रत्येक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:29 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:29 IST
Reason: SelfAttested